सामान्य भविष्य निधि नियम

(GENERAL PROVIDENT FUND RULES)

यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो 1 नवम्बर, 2004 को या इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की सेवा में नियुक्त हुए हैं।

1. निधि का गठन तथा अभिदान की पात्रता

(i) इस निधि पर राज्य सरकार का प्रशासकीय नियंत्रण है।

(ii) समस्त शासकीय सेवक, जिनकी सेवा शर्तें तय करने के लिए राज्य सरकार सक्षम है, निधि में अभिदान करने के पात्र हैं, किन्तु उन्हें छोड़कर जो ठेके पर रखे गये है या पुनः नियुक्ति पर हैं।

(iii) समस्त शासकीय सेवक जो निधि में अभिदान करने के पात्र हैं, निधि में अनिवार्य रूप से अभिदान करेंगे, परन्तु राज्य सरकार चाहे तो आदेश द्वारा किन्हीं विशेष वर्ग के शासकीय सेवकों को इस नियम से छूट प्रदान कर सकती है। [नियम 3, 4 एवं 5]

2. अभिदान की राशि

वह अभिव्यक्त ऐसी कोई भी राशि हो सकती है, किन्तु वह उपलब्धियों के 12 प्रतिशत से कम नहीं होगी तथा शासकीय सेवक की परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी।

[नियम 11 का उपनियम (1)]

3. अभिदान की राशि का निर्धारण

नियम 11 (3) के अनुसार अभिदाता उसके मासिक अभिदान की सूचना निम्नानुसार विधि से अपने आहरण एवं संवितरण अधिकारी को देगा-

(i) यदि वह पिछले वर्ष के 31 मार्च को कर्तव्य पर था तो वह उस माह के वेतन देयक से इस संबंध में जो राशि जमा कराना चाहता है।

(ii) यदि वह पिछले वर्ष के 31 मार्च को अवकाश पर है तथा उसने अवकाश के दौरान अभिदान नहीं देने का चयन किया है अथवा उस दिन निलंबित है, तो कर्तव्य पर लौटने के पश्चात् प्रथम वेतन देयक से काटी जाने वाली अभिदान की राशि से।

(iii) यदि वह पहली बार वर्ष के दौरान शासकीय सेवा में प्रविष्ट हो रहा है तो अपने वेतन देयक से इस संबंध में काटी जाने वाली राशि से।

टिप्पणी :- इस प्रयोजनार्थ परिलब्धियां होंगी-

जो पिछले वर्ष के 31 मार्च को कर्तव्य पर है, परिलब्धियां जो वह उस दिनांक को पाने का पात्र होता यदि वह उस दिनांक को अवकाश पर है तथा अवकाश के दौरान अभिदान नहीं करने का चयन किया है अथवा निलंबन में है, कर्तव्य पर उपस्थित होने पर जिन परिलब्धियों का वह पात्र होता।

(iv) उपरोक्तानुसार नियत किये गये अभिदान की दर में वर्ष के दौरान कोई फेर-बदल नहीं होगा चाहे उसके वेतन की दर में बढ़ोतरी या कमी जो कि पिछले वर्ष के 31 मार्च को

37

नवीन अंशदायी पेंशन योजना

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1-11-2004 को या इसके पश्चात् राज्य शासन की पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू की गई है। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. दिनांक 1-11-2004 अथवा इसके पश्चात् नियुक्त समस्त नये कर्मचारी अनिवार्य रूप से इस योजना के सदस्य होंगे।
2. प्रत्येक कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना में अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समान मासिक अंशदान करेगा। राज्य शासन प्रत्येक कर्मचारी द्वारा योजना में किये गये अंशदान का समतुल्य अंशदान करेगा।
3. योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों को कार्यालय प्रमुख से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा एक स्थाई पेंशन लेखा क्रमांक आवंटित किया जाएगा।
4. प्रत्येक कर्मचारी से मासिक अंशदान की कटौती स्थाई पेंशन लेखा क्रमांक आवंटित होने के पश्चात् ही प्रारंभ होगी।
5. योजना का लेखा संधारण एवं क्रियान्वयन संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा तथा निधि का नियमन 'पेंशन निधि विनियमन एवं विकास प्राधिकरण' (Pension Fund Regulating and Development Authority) द्वारा किया जायेगा।
6. अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों को वर्तमान सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी। अतः अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों के वेतन से इस प्रकार की कटौती न की जावे।

[छ.ग. शासन, अधिसूचना क्र. 977/सी-761/वि/नि/चार/04, दिनांक 27-10-2004]

योजना लागू करने की प्रक्रिया

1. नई अंशदायी पेंशन योजना दिनांक 01-11-2004 से प्रभावशील है। वे सभी शासकीय सेवक जो इस तिथि से या इसके बाद राज्य की सेवा में नियुक्त हुये हैं, इस नई पेंशन योजना के अंर्तगत शामिल माने जायेंगे :-

यह योजना निम्नलिखित शासकीय सेवकों के लिए लागू होगी:-

1. शासन के समस्त स्थायी एवं अस्थायी नियमित कर्मचारी;
2. आकस्मिकता एवं कार्यभारित सेवा के स्थाई सदस्य

यह योजना निम्नलिखित हेतु लागू नहीं होगी :-

1. पुनर्नियुक्त पेंशनर।
2. दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा नियुक्त शासकीय सेवक।
3. आकस्मिकता/कार्यभारित सेवा के अस्थायी सदस्य।
4. शिक्षाकर्मी।

40

समूह बीमा योजना एवं परिवार कल्याण निधि योजना

(GROUP INSURANCE SCHEME & FAMILY BENEFIT FUND SCHEME)

1. समूह बीमा योजना– प्रभावशीलता

यह योजना दिनांक 1-7-85 से राज्य शासन के सभी कर्मचारियों को लागू की गई है।

इसके पूर्व परिवार कल्याण निधि योजना, 1974, दिनांक 1-11-74 से प्रभावशील थी। जिन्होंने इस नवीन योजना का चयन नहीं किया है, वे सेवानिवृत्ति तक अथवा आगे योजना की सदस्यता ग्रहण नहीं करने की दशा में, पुरानी योजना के ही सदस्य बने रहेंगे तथा उनके दावे उस योजना के नियमों के अनुसार ही निपटाये जायेंगे।

2. सदस्यता

(1) यह योजना उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्यतः लागू की गई है, जो इस योजना के अधिसूचित किए जाने के बाद शासन की सेवा में आये है अर्थात् अधिसूचना के जारी होने के बाद शासन की सेवा में आने वाले समस्त कर्मचारी योजना के अगले वर्ष-दिवस को अनिवार्यतः इसके सदस्य बनेंगे।

(2) योजना के सदस्य के रूप में नामांकित सेवा के प्रत्येक सदस्य को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा फार्म क्रमांक 2 में उसके नामांकित की तारीख को और उसके वेतन से अंशदान के रूप में की जाने वाली कटौती को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना शासन के वित्त विभाग को भी दी जाएगी। इसकी सूचना चार प्रतियों में बनाई जाएगी। एक प्रति शासकीय सेवक को एक प्रति संचालक, जीवन बीमा विभाग, ग्वालियर को एवं एक प्रति संबंधित विभागाध्यक्ष की ओर तथा एक प्रति सेवा पुस्तिका में चिपकायी जाएगी। [योजना का नियम 4 (4)]

(3) लेकिन योजना के वर्ष-दिवस से भिन्न किसी माह में सेवा में प्रविष्ट होने वाले कर्मचारियों के वेतन से बीमा सुरक्षा प्रीमियम (अभिदान की राशि का 30%) काटा जाना प्रारम्भ कर दिया जाएगा, जिससे मृत्यु की दशा में समुचित बीमा सुरक्षा का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके। [योजना का नियम 6]

3. योजना में अंशदान की दर

दिनांक 1-7-85 से –

(i) चतुर्थ वर्ग रु. 30/- प्र. मा.
(ii) तृतीय वर्ग रु. 50/- प्र. मा.
(iii) द्वितीय वर्ग रु. 60/- प्र. मा.
(iv) प्रथम वर्ग रु. 80/- प्र. मा.

अंशदान की दर में वृद्धि– (1) दिनांक 1-7-90 से अंशदान और अनुरूपी बीमा रक्षण की दर में 50% की वृद्धि की गई है। इस बढ़ी हुई दर का चयन करने का अथवा नहीं करने का विकल्प दिया जाना अनिवार्य था। विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि 31-5-90 तक थी। यदि किसी ने बाहर रहने का विकल्प नहीं दिया है तो वृद्धि दर उसे अनिवार्य रूप से लागू होगी। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

(2) दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनः अंशदान की दर में 50% की वृद्धि कर क्रमशः रु. 60/-, रु. 100/-, रु. 120/- एवं रु. 160/- मासिक अंशदान कर दिया गया है।

(3) दिनांक 1 जुलाई, 2003 (जून 2003 का वेतन 1 जुलाई 2003 में देय) से पुनः अंशदान की दर में वृद्धि कर क्रमशः रुपये 90, 150, 180 तथा 240 मासिक अंशदान कर दिया गया है।

(आदेश-छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग क्रमांक 340/322/वि/नि/चार/03, दिनांक 29-4-2003)

छत्तीसगढ़ शासन ज्ञाप क्रमांक 49/322/वि/नि/चार/2003, दिनांक 15-1-2004 द्वारा बढ़े हुए अंशदान का विकल्प देने की तिथि 31-3-2004 तक बढ़ाई गई। जुलाई 2003 से विकल्प देने की तिथि तक बकाया अंशदान नगद चालान से जमा कर कार्यालय प्रमुख को सूचना दी जाना चाहिए।

इस प्रकार इस योजना के अधीन एक कर्मचारी कितनी इकाईयों में अंशदान करेगा, कितनी राशि बीमा एवं बचत निधि में जमा होगी तथा देय बीमा राशि कितनी होगी, के लिये निम्न तालिका देखें-

(1) दिनांक 1-7-85 से रु. 10/- की एक इकाई में बीमा निधि एवं बचत निधि

स. क्र.	श्रेणी	समूह	इकाई	अभिदान प्रतिमाह	बीमा सुरक्षा निधि	देय बीमा राशि	देय बचत निधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	प्रथम	अ	8	80/-	31.25%	80,000/-	68.75%
2.	द्वितीय	आ	6	60/-	"	60,000/-	"
3.	तृतीय	इ	5	50/-	"	50,000/-	"
4.	चतुर्थ	ई	3	30/-	"	30,000/-	"

(2) दिनांक 1-7-90 से रु. 15/- की एक इकाई में बीमा निधि एवं बचत निधि

स. क्र.	श्रेणी	समूह	इकाई	अभिदान प्रतिमाह	बीमा सुरक्षा निधि	देय बीमा राशि	देय बचत निधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	प्रथम	अ	8	120/-	30%	1,20,000/-	70%
2.	द्वितीय	आ	6	90/-	"	90,000/-	"
3.	तृतीय	इ	5	75/-	"	75,000/-	"
4.	चतुर्थ	ई	3	45/-	"	45,000/-	"

(3) दिनांक 1-1-96 से रु. 20/- की एक इकाई में बीमा निधि एवं बचत निधि

स. क्र.	श्रेणी	समूह	इकाई	अभिदान प्रतिमाह	बीमा सुरक्षा निधि	देय बीमा राशि	देय बचत निधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	प्रथम	अ	8	160	30%	1,60,000/-	70%
2.	द्वितीय	आ	6	120	"	1,20,000/-	"
3.	तृतीय	इ	5	100	"	1,00,000/-	"
4.	चतुर्थ	ई	3	60	"	60,000/-	"